प्रश्न – राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारत के संवैधानिक पर्यावरणीय उपबन्धों की उपज है। इस कथन के संदर्भ में टिप्पणी करें तथा इसके महत्व को भी स्पष्ट करें। (200 शब्द)

मॉडल उत्तर

भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक न्यायिक अधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दों का त्वरित निपटान करना है।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरणीय व्याख्या को प्रभावी बनाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय उपबन्ध

- स्टॉकहोम सम्मेलन के सिद्धान्त 2 के द्वारा सदस्य देशों को वायु, जल, भूमि, वनस्पति तथा पारिस्थितिकी तंत्र को भावी पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करने का संकल्प रखा गया।
- स्टॉकहोम सम्मेलन के सिद्धान्त संख्या 8 के अनुसार पृथ्वी पर जीन स्तर के सुधार करने के आवश्यक पर्यावरणीय दिशाओं को सुनिश्चित करना।
- स्टॉकहोम सिद्धान्त 21 के द्वारा सभी राज्यों को अपनी पर्यावरणीय नीति बनाने का प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार है।
- वर्ष 1992 में सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन के द्वारा पर्यावरण और विकास एजेन्डा 21 और वन सिद्धान्तों की घोषणा।
- जैव विविधता के घटकों का सतत प्रयोग तथा जैव विविधता का संरक्षण।
- आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष एवं समान बँटवारा।
- भारत 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपशीर्षक के रुप में अधिक समावेशी तथा सतत विकास की व्यापक दृष्टि इत्यादि।

⇨ **भारत में संवैधानिक उपबन्ध**

- संविधान के अनुच्छेद 21 का उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तार करते हुए स्वच्छ पर्यावरण को जीवन का आधार बताया गया।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अर्न्तगत राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं उसे बेहतर बनाने के लिए देश के वनों और वन्यजीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51A(G) के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण में सुधार लाना।
- अनुच्छेद 49 तथा 51A(F) के अनुसार पर्यावरण के एक भाग के रूप में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सुरक्षा इत्यादि को प्रभावी बनाना।
- सर्वेक्षण के लिए परम्परागत साधनों का प्रयोग तथा नवीनता का अभाव।
- उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।

⇨ NGT **का महत्व-**

- NGT के बनने के बाद देश में पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
- NGT के कारण पर्यावरणीय विषयों पर विशेषज्ञों की सलाह सुलभ होती है। न्यायिक कार्यवाही तथा निर्णय बेहतर हो पाता है।
- पर्यावरणीय मामलों को NGT द्वारा देखें जाने से न्यायालयों पर लंबित मामले कम हुए हैं।
- प्रणाली के पारदर्शिता एवं त्वरित होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है।
- सतत विकास को बढ़ावा मिला है, इत्यादि। परन्तु NGT की कुछ संदर्भो में सीमाएं भी देखी गयी हैं,जहाँ आवश्यक विकास परियोजनाओं में देरी के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखा गया इत्यादि।

संक्षिप्त सकारात्मक निष्कर्ष-